कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/366/21 /सम्बद्धता अनु./2021

दिनांक : 29.04.21

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री कृष्ण दत्त एकेडमी,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 23.03.2021 के मद संख्या : 12(4) द्वारा बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों तथा बी0एस–सी0(पीसीएम/जेडबीसी) पाठ्यक्रम में 120 सीटों सहित सत्र 2021–22 से स्थायी सहयुक्तता अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यन से किया जायेगा।
3. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
5. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/567– /सम्बद्धता अनु./2022

दिनांक : 23/04/2022

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री कृष्ण दत्त एकेडमी,
2डी/एच0एस0–1, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम** की अस्थायी सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक **12.04.2022 के मद संख्या : 34(24)** द्वारा **बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम** की **सत्र 2022–23 से तीन वर्षों** हेतु अस्थायी सहयुक्तता अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. **मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/ नियुक्ति के उपरान्त संदर्भित पाठ्यक्रम/ विषय में प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय उनकी परीक्षायें नहीं करायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**
2. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
3. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
4. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/627–29/सम्बद्धता अनु./2018

दिनांक : 08/05/19

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय–आदेश

मुझसे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुतियों पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.04.2019 द्वारा सत्र 2019–20 से **सहयुक्तता** अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

मद संख्या	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
15–ब (7)	मुमताज पी0जी0 कालेज, डालीगंज, लखनऊ	बी0 कॉम0
15–ब (8)	लखनऊ डिग्री कालेज, बाज नगर, हरदोई रोड लखनऊ	बी0ए0
15–ब (9)	जी0एस0आर0एम0 मेमोरियल पी0जी0कालेज 719–एस भदोई नरायनपुर फतेहगंज मार्ग लखनऊ	बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0
15–ब(11)	दिव्या सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय, गहदों, माल, लखनऊ	बी0ए0
15–ब(12)	माडर्न कालेज ऑफ एजुकेशन, कुरौनी, बिजनौर, लखनऊ	बी0एड0
15–ब(13)	राम प्रसाद बिस्मिल मेमोरियल डिग्री कालेज लखनऊ	बी0एड0
15–ब(14)	श्री महेश प्रसाद डिग्री कालेज, मोहनलालगंज, लखनऊ	बी0एस0सी0 कृषि
15–ब(15)	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज, गंगागंज लखनऊ	बी0कॉम0
15–ब(16)	कालेज ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेन्ट एण्ड साइंस लखनऊ	बी0कॉम0
अन्य मद सं 03(4)	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज, गंगागंज, लखनऊ	बी0एड0
03(5)	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, वृन्दावन कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ	बी0एड0
03(6)	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजुकेशन, फैजाबाद रोड, लखनऊ	बी0एड0
03(7)	स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय, एल्डिको, शारदा नगर, लखनऊ	एम0एड0
03(8)	जी0एस0आर0एम0 मेमोरियल पी0जी0कालेज, भदोई–फतेहगंज मार्ग, लखनऊ	बी0ए0
03(9)	सिटी गर्ल्स कालेज, रतन खण्ड, आशियाना, लखनऊ	बी0एड0
03(12)	गया प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेन्स, लखनऊ	बी0एड0
03(17)	इरम गर्ल्स डिग्री कालेज, इन्दिरा नगर, लखनऊ	एम0एड0
03(19)	लखनऊ पब्लिक कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, विनम्रखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	बी0जे0एम0सी0
03(20)	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजुकेशन, फैजाबाद रोड, लखनऊ	बी0कॉम0
03(21)	सिटी कालेज, तिवारीगंज, उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ	बी0एड0
03(22)	टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, अनौरा, फैजाबाद रोड, लखनऊ	बी0एड0

शर्तें :–

1. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
4. महाविद्यालय सहयुक्तता के मानकों/शर्तों की पूर्ति में निरन्तरता बनाए रखेगा।
5. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/परीक्षा अध्यापन इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का महाविद्यालय तत्परता से समग्रता में अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
6. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जो भी सूचनायें महाविद्यालय से अपेक्षित की जायेंगी महाविद्यालय तत्परता से उन्हें उपलब्ध करायेगा।
7. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित

जाने वाली/दी गई व्यवस्थानुसार शिक्षकों के वेतन, सी0पी0एफ0 आदि भुगतान/कटौती करेगा एवं प्रतिवर्ष लेखों की सम्परीक्षा कराकर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सम्बन्धित वर्ष के 30 जून तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

8. शासनादेश संख्या : 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013, दिनांक 30.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. महाविद्यालय आडियो सहित वीडियो सुविधायुक्त कक्षों में अथवा अन्य निर्देशित विधि अनुसार विश्वविद्यालययी परीक्षा सम्पन्न कराने का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।
10. महाविद्यालय प्रतिवर्ष अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ से कराकर उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित शैक्षणिक वर्ष की 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
11. महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथासंशोधित) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों तथा कार्य परिषद एवं कुलपति के आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या : R/627-29 दिनांक : 08/05/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालयों को।
3. गार्ड फाईल।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव